## कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ20(101)260 / आयो / आकाशि / 2010 / 133 दिनांक: 28/05/10

माननीय मुख्यमंत्री के बजट घोषणा वर्ष 2010–11 के अनुसार जन सहभागिता योजना के अंतर्गत महाविद्यालय संचालन हेतु ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से प्रस्ताव आमन्त्रित किये जाते है जो महाविद्यालय के संचालन के समस्त आवर्ती व्यय वहन करने के लिए तैयार हो। वर्तमान में निम्नलिखित 27 तहसीलों में कोई भी राजकीय / निजी महाविद्यालय संचालित नहीं है – बनेडा व कोटडी (भीलवाड़ा), रेवदर (सिरोही), मलारना डूँगर (सवाई माधोपुर), छत्तरगढ व पूँगल (बीकानेर), बायतू, चौहाटन, रामसर व शिव (बाड़मेर), फतेहगढ (जैसलमेर), औसिया व शेरगढ़ (जोधपुर), बगोडा व सायला (जालौर), रायपुर व रोहट (पाली), मांगरोल व किशनगंज (बांरा), हिण्डौली (बून्दी), गंगधार, मनोहरथाना व पिडावा (झालावाड), दिगोद (कोटा), अरनोद, डूंगला एवं गंगरार (चित्तौडगढ)।

आवेदित संस्था का पंजीयन राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 / सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 / राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959 / कम्पनी एक्ट, 1956 / भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत होना आवश्यक है। चयनित संस्था को राज्य सरकार न्यूनतम आवश्यकतानुसार 5000 वर्ग मीटर भूमि एवं भवन टोकन लीज पर उपलब्ध करायेगी। प्रारम्भ में महाविद्यालय 3 वर्षो के लिए, 1000 रूपये प्रतिवर्ष की दर से लीज पर दिया जावेगा । कार्य संतोषजनक होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि एवं भवन पर भविष्य में किसी प्रकार के करों का दायित्व आता है तो वह संस्था को ही वहन करना होगा। ऐसी प्रस्तावक संस्थाऐं जिन्हें महाविद्यालय संचालन का अनुभव हो को प्राथमिकता दी जावेगी। संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है तथा महाविद्यालय के सुचारू संचालन, विकास तथा संस्था के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है। इस दृष्टि से प्रस्तावक संस्था को इस आशय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें कि उसके बचत, चालू एवं सावधि जमा खातों में 12 लाख रुपये की राशि जमा है। इनमें से न्यूनतम 2 लाख रुपये की राशि चालू खाते में होने आवश्यक है।

इच्छुक संस्थाऐं 15 जून 2010 तक आयुक्त, कॉलेज शिक्षा ब्लाक नं0 4 डॉ. एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदनों को बिना आवेदक को सूचित किए रद्द करने का अधिकार आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को होगा। आवेदन पत्र आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, ब्लाक नं0 4 डॉ. एस राधाकृष्णन शिक्षा संकुल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर से दिनांक 1–6–2010 से किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 से सायं 5 बजे के बीच 20 रुपये नकद जमा कर प्राप्त किए जा सकते है।

आवेदन की प्रति विभाग की वेबसाइट **http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in** से भी डाउन लोड की जा सकती है ।

(के.आर. सिलोलिया )
आयुक्त

# महाविद्यालय विहीन तहसीलों में
# नवीन महाविद्यालय खोलने से सम्बन्धित नीति,
# प्रस्तावक संस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश
# एवं
# आवेदन–पत्र


<u>आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर</u>

ब्लॉक नम्बर–4 डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302017
फोन नम्बर– 0141 2706289

**Website: http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in**


मूल्य 20 रुपये

# कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री के.आर. सिलोलिया | आयुक्त | फोन – 2706847 |
| 2. | श्री आर.के. दुबे | संयुक्त निदेशक | फोन – 2706289 |
| 3. | श्री प्यारे लाल | संयुक्त निदेशक | फोन – 2706736 |
| 4. | श्रीमती प्रतिभा सक्सेना | संयुक्त निदेशक | फोन – 2702247 |
| 5. | श्री निम्बाराम देवल | संयुक्त निदेशक | फोन – 2706550 |
| 6. | श्रीमती गीता सौख्या | मुख्य लेखाधिकारी | फोन – 2703897 |

**Website: http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in**

# महाविद्यालय विहीन तहसीलों में नवीन महाविद्यालय खोलने से सम्बन्धित नीति एवं प्रस्तावक संस्थाओं हेतु दिशा–निर्देश

राज्य की 241 तहसीलों में से 214 में सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय उपलब्ध हैं। शेष 27 तहसीलें जहां निजी या राजकीय महाविद्यालय नहीं हैं (परिशिष्ठ–1), में निजी महाविद्यालय स्थापित करने को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित प्रावधान किए हैं–

1. ऐसे स्थानों पर महाविद्यालय संचालित करने हेतु न्यूनतम आवश्यकतानुसार भूमि (5000 वर्ग मीटर) एवं भवन राज्य सरकार द्वारा एक हजार रुपये प्रतिवर्ष, 15 वर्षों के लिये टोकन लीज पर उपलब्ध करवाये जायेंगे।
2. राज्य सरकार द्वारा केवल एक वर्ष हेतु सहायतार्थ अनुदान के रूप में (कार्यालय व्यय, पुस्तकालय, सम्बद्धता शुल्क) के 20.00 लाख रु. देय होंगे।

इन तहसीलों में निजी सहभागिता से महाविद्यालय स्थापित व संचालित करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं। इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं:–

**1. पंजीयन :–**

प्रस्तावक संस्था का पंजीयन निम्न में से किसी एक अधिनियम के अन्तर्गत होना आवश्यक है:–

- राजस्थान सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1958
- राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1959
- भारतीय ट्रस्ट एक्ट, 1882

संस्था को शैक्षणिक संस्था संचालन का अनुभव आवश्यक है।

**2. आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय :–**

महाविद्यालय के संचालन हेतु समस्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय प्रस्तावक संस्था को वहन करने होंगे। राज्य सरकार द्वारा केवल एक वर्ष हेतु 20.00 लाख रु. (कार्यालय व्यय,पुस्तकालय, सम्बद्वता शुल्क ) देय होंगे ।

**3. स्टाफ**

प्रस्तावक संस्था द्वारा शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मापदण्डों (एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स) के अनुसार की जावेगी।

## 4. वेतन भत्ते

- प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याताओं को यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित दरों से एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते दिया जाना प्रस्तावक संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- कर्मचारियों को देय समस्त भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किये जायेंगे।
- कर्मचारियों की भविष्य निधि कटौती नियमानुसार की जाएगी।

## 5. फर्नीचर एवं उपकरण

प्रस्तावक संस्था को निम्नानुसार फर्नीचर एवं उपकरण की व्यवस्था करानी होगीः–

- कार्यालय, पुस्तकालय, स्टाफ रूम आदि में आवश्यक उपयुक्त फर्नीचर
- विद्यार्थियों के लिये मेज कुर्सी
- प्रयोगशालाओं के लिये आवश्यक संसाधन व उपकरण
- अनिवार्य कम्प्यूटर प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर

## 6. प्रबन्ध समिति

प्रस्तावक संस्था की 15 से 21 सदस्यीय प्रबन्ध समिति होनी चाहिये। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 23 (1) (सी) के अनुसार ''कुल सदस्यता के एक तिहाई से अन्यून सदस्य दाताओं या अभिदाताओं में से होंगे'' तथा 23 (1) (सी) (ख) के अनुसार ''प्रबन्ध समिति में किसी भी एक समुदाय, जाति या पंथ के दो–तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होंगे''।

## 7. भूमि एवं भवन

- राज्य सरकार प्रारम्भ में स्नातक स्तर तक आवश्यक न्यूनतम ढांचागत सुविधाएं ही उपलब्ध करवायेगी। भविष्य में विस्तार, संकाय एवं सेक्शन वृद्धि तथा स्तर उन्नयन हेतु आवश्यक ढांचागत सुविधाओं का विकास संस्था को स्वयं के संसाधनों से करना होगा।
- संस्था को लीज़ पर देय भूमि एवं भवन पर राज्य सरकार का अधिकार होगा।
- भविष्य में महाविद्यालय भवन का विस्तार राज्य सरकार की पूर्वानुमति से प्रस्तावक संस्था अपने संसाधनों से करा सकेगी। यदि भूमि एवं भवन को प्रस्तावक संस्था द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई गई तो उसकी भरपाई संस्था को करनी होगी।
- भूमि व भवन का उपयोग बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी अन्य व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं करेगा। भूमि व भवन का उपयोग से आय का पूर्ण उपयोग शिक्षण संस्थान के संचालन, संस्था के संसाधनों को सुदृढ़ करने अथवा रख–रखाव हेतु ही किया जाएगा।
- भवन एवं जन सुरक्षा का उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

- महाविद्यालय संचालन हेतु भवन लीज पर 15 वर्ष के लिये लिया जायेगा। इसके लिए 1000/— रुपये प्रतिवर्ष की दर से टोकन लीज ली जायेगी। प्रारम्भ में 3 वर्षों के लिये कुल 3000/—रु. की लीज डीड करवानी होगी। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष की लीज अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष जून में जमा करानी होगी।

## 8. गतिविधियां

प्रस्तावक संस्था से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय से विविध सह शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियां जैसे खेलकूद, एन.एस.एस., विज्ञान क्लब, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम आदि संचालित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

## 9. महाविद्यालय संचालन

- संस्था संचालन हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान एवं सेवा शर्तें आदि) अधिनियम—1989 एवं नियम 1993 लागू होंगे।
- राज्य सरकार तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धी अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा समय—समय पर जारी किए गए नीतिगत निर्देशों की अनुपालना प्रस्तावक संस्था को अपने महाविद्यालय में करानी होगी।
- प्रस्तावक संस्था बिना राज्य सरकार की पूर्वानुमति के महाविद्यालय को बन्द नहीं कर सकेगी। महाविद्यालय को बन्द करने की स्थिति में समस्त भूमि व भवन पर राज्य सरकार का स्वतः स्वामित्व हो जावेगा तथा संचालन अवधि के समय की समस्त देनदारियों एवं दायित्वों का निर्वहन संस्था द्वारा किया जावेगा। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय का स्टाफ राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जायेगा।
- यदि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय का संचालन नहीं किया जावेगा तो एक माह के नोटिस पर भूमि एवं भवन खाली करवा कर कब्जा ले लिया जावेगा।
- राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संस्था का निरीक्षण समय—समय पर किया जावेगा एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी को मांगने पर संस्था द्वारा समस्त दस्तावेज एवं सूचनाएं उपलब्ध करानी होंगी।
- प्रस्तावक संस्था को उपरोक्त आशयों की अनुपालना करने सम्बन्धित एक सहमति पत्र राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित करना होगा।

## 10. आर्थिक सुदृढ़ता

- संस्था के पास अपने स्वयं के खातों में कुल राशि 12.00 लाख रु. होना आवश्यक है जिसमें से न्यूनतम रु. 10.00 लाख मियादी जमा के रूप में तथा न्यूनतम 2.00 लाख राशि बचत/चालू खाते में होना आवश्यक है।

**11. आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त करें?**

आवेदन पत्र आयुक्त, कॉलेज शिक्षा कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस परे कार्यालय समय में भण्डार से क्रय किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र व दिशा निर्देश विभाग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

**12. आवेदन शुल्क**

आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

**13. आवेदन किसे व कब तक प्रस्तुत करें?**

आवेदन दिनांक 15 जून 2010 की सायं 5.00 बजे तक आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, ब्लाक नम्बर–4, डा. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302017 को भिजवाएं /प्रस्तुत करें।

**14. आवेदनों/प्रस्तावों की जांच प्रक्रिया**

(क) प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों पर आयुक्तालय की तीन सदस्यीय समिति विचार कर प्रस्ताव राज्य सरकार के निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. | संयुक्त निदेशक, अकादमिक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर | सदस्य |
| 3. | संयुक्त निदेशक, अनुदान, कॉलेज शिक्षा, जयपुर | सदस्य |
| 4. | मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर | सदस्य |

(ख) एक तहसील के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर एक संस्था का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए प्राथमिकता निर्धारण हेतु संस्था के शैक्षणिक अनुभव, आर्थिक सुदृढ़ता को आधार बनाया जायेगा।

(ग) प्रस्तावों पर निर्णय के संबंध में सभी बिन्दुओं पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार का होगा, जो सभी को मान्य होगा।

## नवीन महाविद्यालय आवेदन हेतु संलग्नकों की चेक लिस्ट

1. समिति के रजिस्ट्रेशन की सत्यापित प्रति ।
2. समिति के विधान की सत्यापित प्रति ।
3. प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची ।(मय नाम पते एवं फोन नं )
4. प्रबन्ध समिति द्वारा निजी महाविद्यालय/ विषय/ संकाय हेतु प्रारम्भ करने हेतु पारित प्रस्ताव की प्रति ।
5. व्याख्याताओं द्वारा धारित अर्हता का प्रपत्र ( यदि नियुक्ति नहीं की गई है तो घोषणा पत्र संलग्न करें )।
6. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का घोषणा पत्र ।
7. संस्था के अकादमिक क्षेत्र में अनुभव को सिद्ध करने हेतु प्रमाण (यथा संस्था द्वारा संचालित महाविद्यालय/सीनियर सैकण्डरी विद्यालय/अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की विवरणिका एवं किसी भी प्रकार की शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट अथवा अन्य अनुभव) ।
8. आर्थिक सुदृढता के संबंध में आवश्यक प्रमाण–पत्र/ बैंक स्टेटमेंट/पास–बुक की प्रमाणित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न की जाये (संस्था के पास स्वयं के सावधि खातों में जमा न्यूनतम राशि रुपये 10 लाख तथा बचत या चालू खाते में न्यूनतम जमा राशि 2 लाख होना आवश्यक हैं )।

**परिशिष्ठ–1**

## तहसील क्षेत्रों की सूची जहाँ सामान्य शिक्षा का महाविद्यालय नहीं है

| जिला | तहसील क्षेत्र |
|---|---|
| 1 भीलवाड़ा | 1 बनेड़ा |
| | 2 कोटड़ी |
| 2 सवाई माधोपुर | 3 मलारना डूंगर |
| 3 बीकानेर | 4 छतरगढ़ |
| | 5 पूगल |
| 4 बाड़मेर | 6 बायतू |
| | 7 चौहाटन |
| | 8 रामसर |
| | 9 शिव |
| 5 जैसलमेर | 10 फतेहगढ़ |
| 6 जोधपुर | 11 ओसिया |
| | 12 शेरगढ़ |
| 7 जालौर | 13 सायला |
| | 14 बगोड़ा |
| 8 पाली | 15 रोहट |
| | 16 रायपुर |
| 9 बारां | 17 मांगरोल |
| | 18 किशनगंज |
| 10 बून्दी | 19 हिण्डोली |
| 11 झालावाड़ | 20 पिड़ावा |
| | 21 मनोहर थाना |
| | 22 गंगधार |
| 12 कोटा | 23 दीगोद |
| 13 चित्तौडगढ़ | 24 अरनोद |
| | 25 डूंगला |
| | 26 गंगरार |
| 14 सिरोही | 27 रेवदर |

**राजस्थान सरकार**
**कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**
**सत्र ——————**

***महाविद्यालय विहिन तहसीलों में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन फार्म का प्रारूप***

**भाग – 'अ'**

1. संस्था का नाम ——————————————

2. संस्था किस तहसील में महाविद्यालय खोलना चाहती है ? * तहसील ————————
   जिला ——————
   उपखण्ड ——————

3. संस्था का पूर्ण पता ——————————————
   —————————————— ——————————————
   जिला—————— पिन———
   कार्यालय फोन नम्बर ——————————————
   वेबसाइट ——————————————
   ई–मेल ——————————————
   मोबाइल ——————————————
   Fax ——————————————

4. संस्था राजस्थान के किस जिले/शहर में पंजीकृत है ? पंजीकरण संख्या————
   पंजीकरण वर्ष——————

5. संस्था के पदाधिकारी का नाम जिससे पत्राचार किया जाना है–

| नाम | पद | पता |
|---|---|---|
| | | कार्यालय ——————————————<br>——————————————<br>आवास ——————————————<br>——————————————<br>फोन नं. कार्यालय——————<br>आवास——————<br>मोबाइल नम्बर ——————— |

*** नोट :– बिन्दु संख्या 2 में तहसील का नाम अवश्य लिखें अन्यथा आवेदन को अपूर्ण मानकर निरस्त कर दिया जावेगा ।**

6. संस्था का शैक्षणिक क्षेत्र में अनुभव :–

| **शिक्षण संस्था का प्रकार** | **शिक्षण संस्था का नाम व पता** | **स्थापना का वर्ष एवं कुल संचालन की अवधि** |
|---|---|---|
| महाविद्यालय | | |
| सीनियर सैकेण्डरी स्कूल | | |
| अन्य संस्थाएं | | |

7. प्रस्तावित महाविद्यालय के विषयों का विवरण

(अ) स्थान———————— (तहसील) ———— जिला————— सम्भाग

(ब) सह शिक्षा ( ) महिला शिक्षा ( )

(स) संकाय जो प्रारम्भ करना चाहते हैं–

विज्ञान ( ) वाणिज्य ( ) कला ( ) गृहविज्ञान ( )

(द) प्रत्येक संकाय में प्रारम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित विषय

विज्ञान ——————————————————————————

वाणिज्य ——————————————————————————

कला ——————————————————————————

गृहविज्ञान ——————————————————————————

8. अन्य विवरण ————————————————————————

स्थानः ———— हस्ताक्षर

दिनांकः ————— नाम

पद

पता

## भाग – 'ब'

## वित्तीय प्रबन्ध सम्बन्धी विवरण–

1. महाविद्यालय हेतु उपलब्ध वर्तमान कोष–

बैक जमा (सावधि) रु0 ..........................................................................................

बैक जमा (बचत/चालू) रु0 ..........................................................................................

2. आगामी तीन वर्षो का प्रस्तावित व्यय–

| क्र.स. | विवरण | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वेतन | | | |
| 2 | फर्नीचर | | | |
| 3 | पुस्तके | | | |
| 4 | खेलकूद सामग्री | | | |
| 5 | उपकरण | | | |
| 6 | अन्य | | | |

3. विद्यार्थियों से वसूली जाने वाली राशि का मदवार विवरण

| क्र.स. | मद | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शिक्षण शुल्क | | | |
| 2 | विकास शुल्क | | | |
| 3 | पुस्तकालय शुल्क | | | |
| 4 | अन्य | | | |

4. महाविद्यालय के अन्य स्रोतों से आय

| क्र.स. | स्रोत | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

## भाग – 'स'

# (घोषणा पत्र)

**1 शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ सम्बन्धी घोषणाः–**

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर नियुक्त किया जायेगा । यदि महाविद्यालय में की गई नियुक्तियाँ उपरोक्तानुसार निर्धारित अर्हताधारी व्यक्तियों की योग्यतानुसार वेतन एवं भत्तों पर नहीं की जाती है, तो सरकार महाविद्यालय व उसकी प्रबंध समिति के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र है ।

**2 राजनैतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के संचालन न करने संबंधी घोषणा पत्रः–**

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन में नहीं होगा । यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनैतिक प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त पाई जाती है तो तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरुद्ध विधिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

**3 सभी जाति व वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी घोषणा पत्रः–**

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति /धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे । यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

**4 प्रदूषण सम्बन्धी घोषणाः–**

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

**5 राजकीय निर्देशों का पालन करना :–**

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि महाविद्यालय का संचालन हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (*Intoto*) पालना की जावेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों के पालन में अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

6 महाविद्यालय की समस्त आय व्यय सम्बन्धी लेन–देन महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जायेगा तथा महाविद्यालय के आय–व्यय का पृथक लेखा–जोखा संधारित कर ऑडिट कराया जायेगा।

7 महाविद्यालय में समस्त नियुक्तियां समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना/जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जायेगी तथा महाविद्यालय के नवनियुक्त समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को प्रारम्भ में दो वर्षों के प्रोबेशन पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान

की न्यूनतम स्थिर राशि पर रखा जायेगा तथा प्रोबेशन अवधि में संतोषजनक सेवा पाये जाने पर तीसरे वर्ष के प्रारम्भ से वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य भत्तों पर स्थाई नियुक्ति दी जायेगी । प्रबन्ध समिति की नियुक्ति सम्बन्धी प्रत्येक बैठक में निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को पदेन सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जावेगा ।

8 महाविद्यालय में नियुक्त समस्त स्टाफ को प्रसूति लाभ, भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी अधिनियमों के अधीन समस्त परिलाभ देय होंगे, जिनका उल्लेख प्रथम नियुक्ति पत्र में किया जायेगा।

9 महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को क्रमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगी।

10 प्रस्तावित महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा), जयपुर के नियमानुसार करवाया जायेगा।

हस्ताक्षर (अध्यक्ष/सचिव)
प्रबंध समिति

## —: **घोषणा :—**

मैं ........................................................................................................पुत्र श्री................................................ ..........................अध्यक्ष/सचिव.........................................................................एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं तथा मैंने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है । यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी ।

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष | सचिव |
| समिति | समिति |